न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2025

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 17 शिवपुराबास भादरा ।

:– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल जोगीवाला तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल प्लाट नं. 4 बी, 471 वल्लभ गार्डन, बीकानेर जिला बीकानेर ।
3. कान्ता शर्मा पुत्री श्री बनवारीलाल शर्मा पत्नी सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी जोगीवाला हाल वार्ड नं. 11, ठाकुरजी के मन्दिर के पास न्योलखी किकरयान, त0 रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. मन्जु पुत्री श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पत्नी रविन्द्र निवासी जोगीवाला हाल न्योलखी चक तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राममूर्ति ताखर एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रहलाद चोटिया की उपरिथति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ापट्टा के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 48/46 के खसरा संख्या 38/1 की 2.2594 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा का नाम कलमजन किया जाकर वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी सं0 2 रमेश कुमार शर्मा को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा यदि [illegible] अपना वहन करे

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड्सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2025

अनवान :
1. विनोद कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 17 शिवपुराबास भादरा ।

:– वादी

बनाम

1. बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल जोगीवाला तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल प्लाट नं. 4 बी, 471 वल्लभ गार्डन, बीकानेर जिला बीकानेर ।
3. कान्ता शर्मा पुत्री श्री बनवारीलाल शर्मा पत्नी सुरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला हाल वार्ड नं. 11, ठाकुरजी के मन्दिर के पास न्योलखी किकरयान, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. मन्जु पुत्री श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण पत्नी रविन्द्र निवासी जोगीवाला हाल न्योलखी चक तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राममूर्ति ताखर : **वादी**

वकील श्री प्रहलाद चोटिया : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 16.12.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ापट्टा के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 48/46 के खसरा संख्या 38/1 की 2.2594 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादी के दादा श्रीराम की खातेदारी हुआ करती थी जो विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी[illegible] ये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी[illegible] सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 05 द्वारा जवाबदावा [illegible] किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ापट्टा तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 17 शिवपुराबास भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा घोटड़ापट्टा जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 48/46 प्रदर्श 1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] भादरा

Scanned with CamScanner

नामान्तकरण रजिस्टर संख्या 357 घोटड़ापट्टा प्रदर्श संख्या 2, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र बनवारीलाल शर्मा प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा घोटड़ापट्टा के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 48/46 के खसरा संख्या 38/1 की 2.2594 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा का नाम कलमजन किया जाकर वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी सं0 2 रमेश कुमार शर्मा को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ापट्टा के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 48/46 के खसरा संख्या 38/1 की 2.2594 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल शर्मा का नाम कलमजन किया जाकर वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी सं0 2 रमेश कुमार शर्मा को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner